न्यायालय कलेक्टर (शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र)

प्रकरण कमांक 63/बी–121/2014–15

:: आदेश ::

(आज दिनांक 31/08/2015 को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट के माध्यम से तहसीलदार अलीराजपुर का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त, प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 21.05.2015 को घटनास्थल ग्राम बोरकुऑ (अलीराजपुर उमराली) रोड मे सड़क दुर्घटना (मोटरसाईकिल से गिरने से) होने पर केरला पिता खजान जाति भीलाला निवासी ग्राम बेजडा की मृत्यु होने पर आर्थिक अनुदान राशि रूपये 15,000/– (पन्द्रह हजार रूपये) स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार अलीराजपुर के अभिमत से सहमत होकर पी.एम. रिपोर्ट, के आधार मृतक के निकटतम में उसके पिता खजान पिता भाया निवासी ग्राम बेजडा तहसील सोण्डवा को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक/एफ–20–21/2012/1/4 भोपाल, दिनाक 16/07/2014 में निहित प्रावधान अनुसार सड़क दुर्घटना मे मृत्यु होने पर आर्थिक अनुदान सहायता राशि रूपये 15,000/–(पन्द्रह हजार रूपये) स्वीकृत किये जाते है।

उक्त व्यय मांग संख्या 01–लेखाशीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम –800–अन्य व्यय– (1982) दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता –42 सहायता अनुदान –007 अन्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अनुदान राशि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरित की जावें।

(शेखर वर्मा)
कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

पृ0क/ 761 /रीडर/2015 अलीराजपुर दिनांक 31/8/15

प्रतिलिपिः–

1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
2 प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर
3 प्रभारी अधिकारी (वित्त–2) जिला अलीराजपुर । संलग्न बैक खाते की छाया प्रति।
4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोण्डवा ।
5 तहसीलदार तहसील सोण्डवा ।
6 जिला जन सम्पर्क अधिकारी अलीराजपुर की ओर प्रचार–प्रसार हेतु।
6 संबंधित खजान पिता भाया निवासी ग्राम बेजडा तहसील सोण्डवा की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर